


142

न्यायालय श्रीमान समक्ष राजस्व मंडल कौप रीवा जिला रीवा

232
29.6.15

निगरानी 2428-IT-15



Rs 301

कौशल प्रसाद बैस पिता श्री रामगरीब बैस उम्र - 60साल पेशा - खेती,
निवासी ग्राम-मझटोलबर तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0- निगराकार
बनाम

बालकरण बैस पिता श्री रामगरीब बैस उम्र - 54 साल पेशा - खेती

निवासी ग्राम मझटोलबा तहसील रामनगर जिला सतनाम0प्र0- गैरनिगराकार

श्री...
जमा कागद दिनांक... 29.6.15
न्यायालय रीवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील रामनगर
के रा0प्र0कं0 - 03अ12/14 - 15 आदेश दि0-10-05-15

निगरानी अन्तर्गत धारा :- 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0

क्रमांक.....
रजिस्टर्ड कोस्ट द्वारा आज
दिनांक.....को प्राप्त

मागले का साराश निम्नलिखित है :-

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. गालियर

ग्राम मझटोलबा की आ0नं0 302/1ग रकवा 0.08डि0 के सीमांकन
की आवेदन गैरनिगराकार द्वारा तहसील रामनगर मे दिया गया उस
सीमांकन आवेदन से राजस्व निरीक्षक वृत्त झिन्ना के द्वारा बिना सरहदी
काश्तकार को सूचना दिए बगैर गैरनिगराकार के प्रभाव में आकर अवैधानिक
तरीके से सीमांकन किया गया है जिसमें सरहदी काश्तकार निगराकार की
आ0नं0 302/1ख रकवा 0.032 है0 जमीन है। जैसे ही अवैधानिक सीमांकन
की जानकारी निगराकार को हुई वैसे ही वैसे ही वह सीमांकन मे
आपतीकर्त्ता की हैसियत से आपत्ति किया किन्तु इस आपत्ती पर बिना
बिचार किए उसकी आपत्ति को निरस्त कर दिया गया जो कि पूर्णतया
अवैधानिक है। राजस्व निरीक्षक द्वारा इस अवैधानिक सीमांकन की पुष्टि भी
कर दी गयी। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर मौजूदा निगरानी श्रीमान के समक्ष
प्रस्तुत की जा रही है।


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2428-II/15

जिला-सतना

कौशल प्रसाद / बालकरण वैश्य

(1)	(2)	(3)
28.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरान्त उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	